न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 13/2016

वादीगण

1. छोटूराम पुत्र जीवणराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
2. गिरधारी पुत्र जीवणराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
3. गोपाललाल पुत्र जीवणराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
4. इन्द्रा देवी पत्नी लिछमणराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
5. बाबूलाल पुत्र लिछमणराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
6. राजकुमार पु लिछमणराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. इन्द्रचन्द पुत्र जीवणराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
2. सत्यनारायण पुत्र जीवणराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
3. हीरादेवी पत्नी मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
4. मेघराज पुत्र मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
5. चम्पादेवी पुत्री मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
6. मोहनी पुत्री मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
7. सुप्यार पुत्री मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
8. बिदाम पुत्री मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
9. रामप्यारी पुत्री मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
10. सोहनी पत्नी बिरदीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
11. योगेश पुत्र बिरदीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
12. रामकुमार पुत्र बिरदीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
13. किरण पुत्री बिरदीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
14. ललिता पुत्री बिरदीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी राणासर
15. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा:– इस्तकरार हक खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
श्री विजयसिंह प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से।
श्री भवानीसिंह प्रतिवादी संख्या 3 से 14 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 23/10/2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम राणासर की सरहद में स्थित गत खसरा नम्बर 158 रकबा 34½ बीघा व खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 157 रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित रही है। जिसके नवीन भू–प्रबन्धक कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर 490 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.72 हैक्टर खसरा नम्बर 499 रकबा 0.72 हैक्टर खसरा नम्बर 500 रकबा 0.66 हैक्टर खसरा नम्बर 501 रकबा 0.63 हैक्टर खसरा नम्बर 502 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा नम्बर 503 रकबा 2.15 हैक्टर खसरा नम्बर 504 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 505 रकबा 0.45 हैक्टर कुल रकबा 6.11 हैक्टर कायम हुए है। उपरोक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार 1/3 हिस्सा गीगाराम , 1/3 हिस्सा महादेवाराम, व 1/3 हिस्सा रूपाराम काबिज काश्तकार डोलीदार रहे है उनके स्वर्गवास हो जाने पर जीवणराम,मूलाराम लिछमणराम पि. गीगाराम दर्ज हो गई व महादेवाराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर गीगाराम के पुत्र जो कि महादेवाराम के यहाँ खोले गये हुए थे उनका नाम मूलाराम खोले महादेवाराम दर्ज हो गया एवं रूपाराम के स्थान पर हरिबक्स का नाम दर्ज हो गया। स्व. गीगाराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनकी जगह जीवणराम व लिछमणराम के नायती खातेदारी दर्ज होनी थी बल्कि मूलाराम तो बाल्यवस्था में ही महादेवाराम के यहाँ खोले चले गये थे एवं उनका नाम महादेवाराम की जगह दर्ज हो गया था उसके बावजूद भी मूलाराम का नाम गीगाराम के स्थान पर और दर्ज हो गया। जीवणराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनकी जगह फौतगी नामान्तरकरण से हम वादीगण 1 ता 3 छोटूराम, गिरधारीम, गोपाललाल व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इन्द्रचंद व सत्यनारायण के नाम दर्ज हो गई व लिछमणराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर वादी संख्या 4, 5, 6 इन्द्रादेवी, बाबूलाल, राजकुमार जरिए उत्तराधिकारी दर्ज चले आ रहे है व मूलाराम खोले महादेवाराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर फौतगी नामान्तरकरण हीरादेवी पत्नी मूलाराम व बिरदीचंद, मेघराज पिता मूलाराम दर्ज हो गया। उसी अनुसार काबिज खातेदार दर्ज चले आ रहे थे, उपरोक्त खातेदारी में दर्ज मूलाराम पुत्र गीगाराम के स्थान पर उपरोक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी, बल्कि नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 11.09.2015 के उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 ता 14 ने अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि इनसे पूर्व दर्ज रिकार्ड के अनुसार मूलाराम खोले महादेवाराम के स्थान पर नामान्तरकरण दर्ज हो गया था एवं खोले जाने पर जन्म देने वाले माता–पिता की सम्पति में अधिकार हट जाता है, उसके बावजूद भी इन्होने उक्त खातेदारी को दर्ज करवा लिया जो कि शुरू से ही गलत व शून्य है, उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 14 को कोई हक हिस्सा किसी भी प्रकार से प्राप्त नही हो सकता है। उक्त खातेदारी में दर्ज भूमि मे से मूलाराम खोले महादेवाराम की भूमि में ही प्रतिवादी संख्या 3 ता 14 को हक–अधिकार प्राप्त है एवं मूलाराम पुत्र गीगाराम के नाम से दर्ज सम्पति का हक अधिकार व काबिज वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा वादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

4, 5, 6 को बहिस्सा बराबर के हक अधिकार प्राप्त है जो जन्म से बाई बर्थ बनते है। एक व्यक्ति को दो जगह की सम्पति में अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्तानुसार हक हिस्सा अनुसार ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने व वादीगण को अपने हिस्से की स्पष्ट खातेदारों की घोषणा कराकर उक्त भूमि जो मूलाराम पुत्र गीगाराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 14 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है जिसके वह हकदार है। इतने दिन तो प्रतिवादीगण 3 ता 14 ने उक्त भूमि को वादीगण के नाम दुरूस्त कराने का आश्वासन देते रहे लेकिन अभी कुछ समय से इंकार करने लग गये एवं धमकी दने लगे कि उक्त भूमि हमारे नाम खातेदारी में है इसका बेचान करके आपको बेदखल करवाकर रहेंगे इसलिए वादीगण को अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने व अपने हितो की सुरक्षार्थ यह खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 490 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.72 हैक्टर खसरा नम्बर 499 रकबा 0.72 हैक्टर खसरा नम्बर 500 रकबा 0.66 हैक्टर खसरा नम्बर 501 रकबा 0.63 हैक्टर खसरा नम्बर 502 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा नम्बर 503 रकबा 2.15 हैक्टर खसरा नम्बर 504 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 505 रकबा 0.45 हैक्टर कुल रकबा 6.11 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा में मूलाराम पुत्र गीगाराम के स्थान पर दर्ज खातेदारी में प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 14 का नाम हटाकर वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा वादी संख्या 4, 5, 6 के बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार कृषक दज किया जावे। इस आशय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे। उपरोक्त खसरा नम्बरान में मूलाराम पुत्र गीगाराम के स्थान पर दर्ज खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 ता 14 बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करें न ही वादीगण के कब्जे काश्त में दखल इत्यादि करे न ही अपने एजेन्टो से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 से 14 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब एवं वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, तत्तपश्चात प्रतिवादी 3 से 14 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 15 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, नामान्तरकरण संख्या158 दिनॉक 11.9.15 की प्रमाणित प्रति, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2008 से 2027, जमाबन्दी नकल सम्वत 2012 से 2015 की प्रस्तुत की।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा इसी अनुसार वाद डिक्री किये जाने का कथन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी एवं सजरा खानदान अनुसार मूलाराम काफी समय पूर्व ही महादेवराम के गोद चले गये है। प्रतिवादीगण 3 से 14 द्वारा भी किसी प्रकार जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही करना एवं अनुपस्थित रहना भी इस बात की ताईद करता है कि मूलाराम पूर्व में ही महादेवराम के गोद चला गया है। जमाबन्दी सम्वत 2012–15 ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 158 रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 157 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा जीवणराम मुलाराम लिछमणराम पि. गीगाराम 1/3 हरीबक्सा वल्द रूपाराम 1/3 मूलाराम खोले महादेव 1/3 कौम ब्राहम्ण सा. देह डोलीदार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। उपरोक्त दस्तावेजात इत्यादि अनुसार वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य हैं। जो निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 490 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.66 हैक्टर खसरा नम्बर 501 रकबा 0.63 हैक्टर खसरा नम्बर 502 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा नम्बर 503 रकबा 2.15 हैक्टर खसरा नम्बर 504 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 505 रकबा 0.45 हैक्टर कुल रकबा 6.11 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा में दर्ज मूलाराम पुत्र गीगाराम के स्थान पर दर्ज खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 3 से 14 का नाम हटाया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा वादी संख्या 4, 5, 6 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 23/X/17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)